हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री उमेश शर्मा व श्री अरुण शर्मा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) **हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–**

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	4 (क)	122.70
2	लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	4 (ख)	65.30
3	दिनाँक 31.03.14 को जल प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	5 (क)	34.71
4	जल आपूर्ति योजना के संचालन में आय की तूलना में अधिक व्यय	6	33.67

5	दिनाँक 31.03.14 को अग्रिमों की वसूली योग्य शेष राशि	7	93.37
6	आवास बस्ती जरजा जिला सिरमौर के निर्माण कार्य में संविदाकार से वसूली न करना	9	43.83
7	संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	10	12.73
8	संविदाकार से सर्विस टैक्स की वसूली न करना	11	10.45
9	संविदाकार को विभिन्न निर्माण कार्य में अनुचित/अधिक भुगतान	12	2.69
10	मधाला में 96 ई0 डब्लयू एस फ्लैट के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	13	.80
11	गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरुप विभिन्न कर्मचारियों को अनियमित/अधिक भुगतान	14	1.43
12	अंशदायी भविष्य निधि में अनियमित भुगतान	15	1.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 4/84 से 3/13 तक मण्डल से सम्बन्धित 20 पैरे अनिर्णीत हैं, जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
मण्डी मण्डल से स्थानान्तरित पैरे		
1	1984—85	1
2	1985—86	1
3	1987—88	2
शिमला मण्डल II से स्थानान्तरित पैरे		
4	1991—92	3
5	1993—94	2
6	1994—95	1
निर्माण मण्डल परवाणू		
7	1995—96	2

8	2000—2001	1
9	2006—2007	1
10	2008—2009	1
11	2010—11	1
12	2012—13	4

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 तक का अंकेक्षण कार्य श्री चम्बेल सिंह परमार व श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनाँक 15.12.14 से 18.02.15 तक श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—09 के पर्यवेक्षण में परवाणू में किया गया। माह 10/2013 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफो में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाये गये।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी सूचना व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क :—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला—2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 **(क) <u>परवाणू मण्डल के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के रख–रखाव चार्जिज के रुप में ₹1,22,69,837.00/– की वसूली योग्य राशि शेषः–</u>**

हिमुडा मण्डल परवाणू के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/आबंटियों से 31.03.2014 तक रख–रखाव प्रभार के रुप में ₹1,22,69,837.00 की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	**आवास बस्ती का नाम**	**दिनाँक 31.03.14 को वसूली योग्य राशि ₹ में**
1	आवास बस्ती शुभ खेड़ा	1,58,330.00
2	आवास बस्ती पांवटा साहिब	64,78,735.00
3	आवास बस्ती मोगीनन्द	87,004.00
4	आवास बस्ती परवाणु	21,67,334.00
5	आवास बस्ती बददी	12,31,967.00
6	आवास बस्ती मन्धाला	11,84,168.00
7	आवास बस्ती नालागढ	1,61,540.00
8	आवास बस्ती कालूझण्डा	8,00,759.00
	कुल राशि	**1,22,69,837.00**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रख–रखाव प्रभार की वसूली योग्य राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है जोकि चिन्ता का विषय है। अतः मण्डलाधिकारी को परार्मश दिया जाता है कि रख–रखाव प्रभार की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही की जाए ताकि वसूली योग्य राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके।

(ख) <u>लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार के रुप में ₹65,30,461.00 की वसूली योग्य राशि शेषः–</u>

लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार के रुप में ₹65,30,461.00 वसूली योग्य शेष है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। यह चिन्ता का विषय है अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

लोक निर्माण विभाग मण्डल का नाम	वसूली योग्य राशि
लोक निर्माण विभाग नेश्नल हाईवे मण्डल सोलन	768833
लोक निर्माण विभाग मण्डल पांवटा साहिब	5761628
कुल राशि	**6530461**

(ग) रख–रखाव प्रभार के रुप में ₹27063.00 की कम वसूलीः–

अंकेक्षण के दौरान रख–रखाव प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख/खातावही की पड़ताल पर पाया गया कि रख–रखाव प्रभार के बिल जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर यदि अपेक्षित राशि जमा नहीं की जाती है तो 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली की जानी अपेक्षित है यदि वर्ष के दौरान राशि जमा नहीं की जाती है तो पूर्व वर्ष की बकाया राशि पर 14 प्रतिशत पैनल ब्याज के साथ राशि की वसूली की जानी थी। इन्डस्ट्रीयल पलॉट न0 38 हाऊसिंग कलौनी भटोलीकला से गलत गणना करके बिल जारी करने पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹27063.00 की कम वसूली की गई थी कम वसूल की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

(i) गलत गणना करके जारी बिल व प्राप्ति का विवरणः–

बिल की तिथि	देय तिथि	बिल की अवधि	इस वर्ष की प्राप्ति योग्य राशि	पिछला बकाया	पिछले बकाये पर 14% की दर से ब्याज की राशि	कुल प्राप्ति योग्य राशि	देय तिथि के बाद 10% अधिभार सहित प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्ति की तिथि	प्राप्त राशि	
21.04.11	20.5.11	1.4.11 से 31.3.12	10000	56936	7971	74907	82397	10.5.12 19.6.12	20000 20000	42397
01.4.12	30.4.12	1.4.12 से 31.3.13	10000	42397	10000	53397	—	—	—	53397
01.10.13	31.10.13	1.4.13 से 31.3.14	10000	53397	4272	67669	—	7.10.13	67669	शून्य

(ii) वास्तविक गणना जिससे बिल जारी किया जाना व गणना की जानी थी

21.04.11	20.05011	1.4.11 से 31.3.12	10000	56936	7971	74907	82397	–	–	–
01.4.12	30.4.12	1.4.12 से 31.3.13	10000	82397	11536	103933	114326	10.5.12 19.6.12	20000 20000	74326
01.10.13	31.10.13	1.4.13 से 31.3.14	10000	74326	10406	94732	104205	7.10.13	67669	27063

उपरोक्त विवरणानुसार ₹27063.00 की कम वसूली की गई।

5 (क) परवाणू मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार के रुप में ₹3470986.00 की दिनाँक 31.3.2014 तक वसूली योग्य राशिः–

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैकटरी मालिकों/आबंटियों से दिनाँक 31.03.2014 तक जल प्रभार के रुप में ₹3470986.00 की राशि वसूली योग्य शेष थी जोकि एक गम्भीर विषय है। अतः मण्डलाधिकारी को परार्मश दिया जाता है कि लंबित जल प्रभार राशियों की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जायें ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, जल आपूर्ति योजना की वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	जल आपूर्ति योजना का नाम	वसूली योग्य राशि
1	आवास बस्ती पांवटा साहिब	20445.00
2	आवास बस्ती शुभखेड़ा	29146.00
3	आवास बस्ती नालागढ	31946.00
4	आवास बस्ती कालूझण्डा	85747.00
5	आवास बस्ती मन्धाला	3841.00
6	आवास बस्ती बददी	1975487.00
7	आवास बस्ती परवाणू	1324374.00
	कुल राशि	3470986.00

(ख) जल प्रभार बिलों को औसत आधार पर जारी करने से प्राधिकरण को लाखों की सम्भावित हानिः—

परवाणू उप—मण्डल द्वारा जल प्रभार के बिलों को बहुत से मामलों में औसत आधार पर जारी किया जा रहा है। औसत आधार पर बिलों को जारी करने से लाखों रुपये की सम्भावित हानि से इन्कार नहीं किया सकता। नियमानुसार पानी की खपत के अनुसार ही पानी के बिलों को जारी किया जाना अपेक्षित है ताकि उप—मण्डल को पानी की खपत के अनुसार जल प्रभार की राशि प्राप्त हो सके अत्याधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जल प्रभार के बिल औसत आधार पर जारी किये जा रहे हैं। जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि खराब पड़े पानी के मीटरों को तुरन्त बदलकर वास्तविक पानी की खपत के आधार पर जल प्रभार की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में ₹33,66,630/—का अधिक व्ययः—

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति योजना परवाणू के लेखो की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान जल आपूर्ति योजना पर आय की अपेक्षा ₹33,66,630.00 का अधिक व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान जल आपूर्ति योजना से जल प्रभार के रुप में ₹1,90,88,857.00 की प्राप्ति हुई जबकि जल आपूर्ति योजना पर ₹22,455,487.00 का व्यय किया गया। फलस्वरुप वर्ष 2013—14 के दौरान आय की तुलना में ₹33,66,630.00 का अधिक व्यय किया गया जिसे किसी भी स्थिति में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता हिमुड़ा जैसी कौमर्शियल संस्था में इस योजना को सही ढंग से संचालित न करना एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि इस योजना का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि इस संस्था को भविष्य में और अधिक हानि का सामना न करना पड़े।

7 विविध अग्रिम राशि ₹93,36,518.25 की वसूली शेषः–

परवाणू मण्डल द्वारा विभिन्न फार्मों संविदाकारों एवं कर्मचारियों को प्रदान किये गये विविध अग्रिम राशि ₹9336518.25 दिनाँक 31.03.2014 को वसूली योग्य शेष थी। कुछ राशियाँ पूर्व कई वर्षों से वसूली योग्य शेष दर्शाई जा रही है। मण्डल द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विविध अग्रिमों की शेष राशियों की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करके इन राशियों की वसूली सुनिश्चित की जाए। विविध अग्रिमों की वसूली योग्य शेष राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

8 अंकेक्षण अवधि के दौरान लेवर सैस की प्राप्त राशि ₹14,58,028.00 को सम्बन्धित विभाग में जमा न करनाः–

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों से लेवर सैस की वसूली की गई थी। वसूल की गई राशि को वसूली के तुरन्त पश्चात सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना वाँछित था लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान लेवर सैस की प्राप्त राशि ₹14,58,028.00 का सम्बन्धित विभाग को भुगतान नहीं किया गया। प्राप्त राशि का शीघ्र सम्बन्धित विभाग को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। वर्ष 2013–14 के दौरान लेवर सैस की प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माह /पिछला बकाया	प्राप्त राशि (₹)
4/2013	29539–00
5/2013	90651–00
6/2013	88931–00
7/2013	65678–00
8/2013	86851–00
9/2013	155131–00
10/2013	40462–00
11/2013	280706–00
12/2013	44759–00 66700–00

1/2014	113 048—00
2/2014	171 957—00
3/2014	223 615—00
कुल राशि	**1458028**—00

9 संविदाकार से ₹43,82,514.00 की वसूली न करनाः—

कार्य का नाम : आवास बस्ती जरजा जिला सिरमौर में पी एस एफ योजना के कार्य में स्थल विकास से सम्बन्धित कार्य करना :

संविदाकार : श्री जगमोहन खण्डूजा ट्रांसपोर्टर एण्ड कन्ट्रैकटर

अनुबन्ध संख्या : 47 वर्ष 2011—12

अनुबन्ध राशि : ₹3,68,41,501.00

उपरोक्त कार्य के 12वें चलित बिल का भुगतान वाऊचर संख्या 8 माह 10/2013 द्वारा ₹12,94,488.00 के लिए किया गया था। भुगतान की जाँच पड़ताल करने पर ₹43,82,514.00 के अधिक भुगतान व कम वसूलियों के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

(1) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹6,98,364.00 की रॉयलटी की वसूली न करनाः—

प्रधान सचिव उद्योग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड—II (एफ) 6—5/2006 दिनाँक 16.01.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलटी देय है। बारहवें चलत बिल तक मापन पुस्तिका संख्या 2078 पृष्ठ 85 व 86 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 15, 16, व 17 के लिए क्रमशः 2427.71 घन मीटर 2483.06 घन मीटर व 725.21 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है। जिसके लिए संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 7525.48 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिए उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार

की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरुप ₹6,98,364.00 की राशि रॉयलटी के रुप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रुप से हानि पहुँचाई गई प्रतीत होती है।

क्र0 सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलटी प्रति टन ₹	राशि ₹
1	15	आर आर मैश्नरी इन सी एम 1:6	2427.71	3325.96	7716.23	40	3,08,649.00
2	16	ड्राई रवल मैश्नरी	2483.06 घन मी0	3401.79 घन मी0 (2483. 06X1.37)	7892.15 टन (3401.79X2.32)	40	3,15,686.00
3	17	स्टोन फीलिंग विहाईड रिटेनिंग वाल	725.21 घन मी0	797.73 घन मी0 (725.21X1. 10)	1850.73 टन (797.73X2.32)	40	74029.00
		जोड़	**5635.98**	**7525.48**	**17459.11**		**6,98,364.00**

(2) <u>संविदाकार से अनुबन्ध की कलाज 2 के अर्न्तगत क्षत्तिपुर्ति राशि ₹36,84,150.00की वसूली न करनाः–</u>

उपरोक्त कार्य संविदार को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या पी डी/हिमुडा/सी बी/ए–15/2011–71–78 दिनाँक 13.01.2012 द्वारा ₹3,68,41501.00 के लिए आबंटित किया गया था। कार्य पूर्ण करने की अवधि नौ माह थी जो दिनॉक 28.09.2013 को समाप्त हो गई थी इसके पश्चात संविदाकार को समय सीमा में बढोतरी नहीं की गई। संविदाकार द्वारा समय पर कार्य न करने व अत्यन्त धीमी गति से कार्य करने पर अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या पी डी/हिमुड़ा/सी वी/एग्रीमैन्ट फाईल न0 47 वर्ष 2011–12/2013–801–04 दिनाँक 27.05.2014 द्वारा अनुबन्ध की कलाज 2 के अर्न्तगत संविदाकार को क्षतिपूर्ति राशि (Compensation Amount) ₹36,84,150.00 अनुबन्ध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर जमा करने को कहा गया था। यह राशि लगभग 10 माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी वसूल नहीं की गई थी। उपरोक्त राशि की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाँछित क्षतिपूर्ति राशि ₹36,84,150 की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(3) उपरोक्त कार्य को आबंटित किये हुए लगभग 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका तथा कार्य पूर्ण करने की सीमा दिनाँक 28.09.2013 को समाप्त हो चुकी है। कार्य पूर्ण करने की समय सीमा समाप्त हुए लगभग 17 माह का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक संविदाकार के विरुद्ध अनुबम्ध की कलास 3 (ए) के अन्तर्गत हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

10 राशि ₹12,72,826.00 का संविदाकार को अधिक/अनियमित भुगतानः—

कार्य का नामः शहरी गरीबों को मकान बनाने के लिए इन्टेग्रेटिड सलम डिवलोपमैंट योजना के अन्तर्गत सैक्टर 4 परवाणू में 192 न0 फलैट व एक सामुदायिक भवन का निर्माण।

संविदार का नाम : मै0 कपिल कन्सट्रक्शन क0

अनुबन्ध संख्या : 5 वर्ष 2010—11

वाऊचर संख्या : 83 माह 10/2013 राशि ₹1748477.00

उपरोक्त निर्माण कार्य के 15वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार को वाउचर संख्या 83 माह 10/2013 द्वारा ₹1748477.00 का भुगतान किया गया। भुगतान की जाँच करने पर ₹12,72,826.00 के अधिक/अनियमित भुगतान के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

(1) ₹74294.00 का अधिक भुगतान :—

15वें चलित बिल की मद संख्या 1/1 **परिशिष्ट "बी"** द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईड़िंग एण्ड फिकसिंग गवैन्लाइजड.माईलड स्टील टयूब 15 एम एम नौमिनल बारे इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 4817.45 मीटर का भुगतान ₹109 प्रति मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 75 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 1348.80 मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2169 पृष्ठ 33 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

ब्लाक न0 3 (8 फ्लैट)

बारह से अन्तर की तरफ	8X1.00 X 0.13	1.04 मीटर
ब्लाक के सामने की तरफ	4 X (0.38+1.30+0.18+0.35+2.57+0.36+ 1.28+0.20+0.45+0.23)	29.24 मीटर

ब्लाक के पीछे की तरफ	4 X (0.38+2.82+0.21+0.21+0.21+0.38+0.38+0.24)	19.32 मीटर
ब्लाक न0 3 (24 फ्लैट) ब्लाक न0 3 (8 फ्लैट)	कुल 32 फ्लैट	
टॉप लैटर से टॉप फ्लोर	32 X 1 X 2.60	83.20 मीटर
टाप से दूसरी मजिल	32 X 1 X 5.60	179.20 मीटर
टॉप से प्रथम मंजिल	32 X 1 X 8.60	275.20 मीटर
टॉप से धरातल मंजिल	32 X 1 X 11.60	371.20 मीटर
धरातल से टॉप तक (इनलैट पाईप)	32 X 1 X 12.20	390.40 मीटर
		1348.80 मीटर

उपरोक्त रिर्काड प्रविष्टियां करते समय एक फ्लोर में 32 फ्लैट में तथा 4 फ्लोर में कुल 128 फ्लैट में आऊट लैट पाईप का कार्य किया दर्शाया गया था जबकि 32 फ्लैट की कार्य मात्रा के लिए ही निम्न प्रकार से गणना की जानी थी :–

ब्लाक न0 3 (8 फ्लैट)

बारह से अन्दर की तरफ	8X1.00 X 0.13	1.04 मीटर
ब्लाक के सामने की तरफ	4 X (0.38+1.13+0.18+0.35+2.57+0.36+ 1.28+0.21+0.45+0.23)	29.24 मीटर
ब्लाक के पीछे की तरफ	4 X (0.38+2.82+0.21+0.21+0.21+0.21+0.38+0.38+0.24)	19.32 मीटर
ब्लाक न0 3 (24 फ्लैट) ब्लाक न0 3 (8 फ्लैट)	कुल 32 फलैट	
टॉप लैटर से टॉप फ्लोर	8 X 1 X 2.60	20.80 मीटर
टॉप से दूसरी मजिल	8 X 1 X 5.60	44.80 मीटर
टॉप से प्रथम मंजिल	8 X 1 X 8.60	68.80 मीटर
टॉप से धरातल मंजिल	8 X 1 X 11.60	92.80 मीटर
धरातल से टॉप तक इनलैट पाईप	32 X 1 X 12.20	390.40 मीटर
	कुल मात्रा	**667.20 मी0**

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 667.20 मी0 कार्य मात्रा कें स्थान पर 1348. 80 मी0 कार्य मात्रा का भुगतान किये जाने के कारण 681.60 मी0 (1380.80 मी0–667.20

मी0) का कार्य मात्रा के लिये ₹109 प्रति मीटर की दर से ₹74294.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिस न्यायोचित ठहराया जाये।

(2) <u>₹185737.50 का अनुचित भुगतान :–</u>

उपरोक्त बिल की मद संख्या 59/ई आई द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिग एण्ड फिक्सिंग 40 एम0एम0 x3 एम0एम0 थिक व 10 एम0एम0 लोंग होलड़ फास्ट इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 3810 न0 का भुगतान ₹48.75 प्रति पार्ट दर (पूर्ण दर ₹65 प्रति) से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 73 पर ₹ 185787.00 के लिये किया गया था। अनुबन्ध की मद संख्या 55 के अर्न्तगत प्रोवाईडिग एण्ड फिकसिंग ऐंगल आयरन/टी आयरन डोर व विन्डों फ्रेम इत्यादि से सम्बन्धित कार्य का भुगतान किया गया था। सी पी डब्लयू डी सपैसीफिकेशन के चैप्टर 10 के अनुसार स्टील के दरवाजे विन्डोके फ्रेम इत्यादि को दीवार में लगाने के लिए लगज का प्रयोग किया जाएगा न कि होलड फास्ट का। अतः संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 55 के साथ एंगल आयरन व टी आयरन के डोर व विन्डो फ्रेम लगाने के लिए अतिरिक्त मद के अन्तर्गत प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग 40 एमएम x 3 एमएम व 40 एमएम लोग होलड फास्ट का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त नालागढ में बनाये जा रहे उपरोक्त योजना के 128 न0 फलैट के निर्माण कार्य में भी उपरोक्त मद के अन्तर्गत होल्ड फास्ट इत्यादि लगाने हेतु अतिरिक्त मद के रुप में कोई भुगतान नहीं किया गया था। जो यह दर्शाता है कि संविदाकार को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के उदेश्य से अतिरिक्त मद तैयार करके अनुचित भुगतान किया जा रहा है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत किया जा रहा था। अतिरिक्त मद का भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग के अनुमोदन के बिना ही अनुचित रुप से अतिरिक्त मद का भुगतान किया गया है।

(3) <u>₹114085.00 का अधिक भुगतानः–</u>

15वें चलत बिल की मद संख्या 34/S.I द्वारा वर्णित कार्य Providing water meter chamber with half brick masonary walls on CC 1:4:8 base concrete in cement mortar 1:4 i/c inside plastering in C.M. 1:4 and CC floring 40 mm on the base of it in CC 1:4 of inside size .65x.45x.40 complete with top cover of angle

iron frame ete से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 64 न0 का भुगतान ₹1800 पार्ट दर (पूर्ण दर ₹3690.00 प्रति) से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 89 पर किया गया था। उपरोक्त मद की दर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया गया था। जबकि दर का निर्धारण निम्न विवरणानुसार हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 1999 की दरों पर होना था क्योंकि कार्य का अनुमान मानक दर अनुसूची 1999 पर आधारित था।

बाजार मूल्य पर दर का निर्धारण **मानक दर अनुसूचि 1999 की दरों के का निर्धारण**

क0 स0	सामग्री का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	राशि	मद संख्या	दर	राशि
1.	सी0सी01:4:8	धन मी0	0.071	4115.85	292.23	09130000	1181.80	83.90
2.	हाफ ब्रिक मैशनरी	वर्ग मी0	1.021	618.44	631.34	10040302	163.30	166.73
3.	15 एम0एम0सीमेंट पलास्टर	वर्ग मी0	0.84	189.01	158.77	1704.8000	45.60	38.30
4.	40 एम0एम0सी0 सी0 फलोरिंग	वर्ग मी0	0.227	280.15	63.59	13310000	97.00	22.02
5.	ऐंगल आयरन फ्रेम एवं कवर	कि0 ग्रा0	21.17	106.69	2258.63	1504040000	31.27	661.98
6.	लौकिग अरेजमैंट	लमसम	1	20.00	20.00	–	20.00	20.00
7.	हैण्डल	प्रति	1	44.90	44.90	–	44.90	44.90
8.	होल्ड फास्ट	प्रति	2	65.10	130.20	–	65.10	130.20
9.	सी:सी: 1:2:4	घन मी0	0,01988	4698.01	93040	092000010	1708.40	33.83
					3693.15			**1201.86**

उपरोक्त विवरणानुसार बाजार मूल्य पर मद की दर का निर्धारण ₹3693.15 करके भुगतान किये जाने की सम्भावना है। जबकि उपरोक्त मद की दर का निर्धारण उपरोक्त विवरणानुसार मानक दर अनुसूची 1999 के आधार पर मद अनुसार किये गये कार्य की गणना करके अनुबन्ध में सामान दर के प्रीमीयम के आधार पर निम्न विवरणानुसार दर का निर्धारण किया जाना था।

	कार्य मात्रा	दर ₹	राशि
अनुबन्ध की मद संख्या 22 परिशिष्ठ बी Construction of chamber 600 mm x 450 mm x 600 mm inside & size for water meter complete ete हेतु संविदाकार दर	192 न0	9.00	1737.00
कार्य के अनुमान के अनुसार उपरोक्त मद की दर	192 न0	627.70	120518.00
उपरोक्त कार्य की प्रतिशतता	$\frac{1737-120518 \times 100}{120518}$	=(–) 98.55 प्रतिशत	

उपरोक्त मद की दर का निर्धारण मानक दर अनुसूची 1999 पर आधारित दर +सामान कार्य मद की प्रतिशतता से किया जाना था। दर का निर्धारण 1201.86+(–)98.55 प्रतिशत = ₹17.42

उपरोक्त मामले में संविदाकार को ₹17.42 प्रति के स्थान पर ₹1800 प्रति से भुगतान करने पर ₹1782.58 प्रति (₹1800–₹17.42) की दर से ₹114085.00 का अधिक भुगतान किया गया था। तथा भविष्य में कुल अनुमानित कार्य मात्रा 192 न0 के लिए ₹3675.73 (₹3693.15–₹17.42) प्रति की दर से ₹705740 के अधिक भुगतान की सम्भावना है।

उपरोक्त मामले में संविदाकार द्वारा कार्य आबंटन के समय उपरोक्त मद हेतु अत्याधिक कम दर अनुमान के अनुसार दर ₹627.70 के लिए ₹9.00 दी गई थी। बाद में इस मद को संविदाकार से न करवाकर विभाग द्वारा इस मद के स्थान पर अन्य मद बाजार मूल्य पर तैयार करके संविदाकार को भुगतान किया जा रहा है। जोकि अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रतिस्थापित मद को करवाने हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जिसके डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत यह कार्य करवाया जा रहा है। न ही इस मद को करवाने हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी। जबकि कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुड़ा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य करवाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग जिसका डिपॉजिट वर्क किया जा रहा है की स्वीकृति एवं सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक थी।

(4) वीप होल के कार्य की मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ₹13125.00 का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त बिल की मद संख्या 58/ई आई द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग पी वी सी पाईप 100 एम एम डाया इन रिटेनिंग वाल फार वीप होलज इत्यादि के लिए करवाये गये कार्य की मात्रा 796.04 मीटर का भुगतान ₹109.87 प्रति मीटर पार्ट दर (पूर्ण दर ₹146.30)से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 73 पर किया गया था। बिल की अन्य मदों में करवाये गये कार्य को ध्यान में रखते हुए पाया गया कि बिल की मद संख्या 21/23 द्वारा वर्णित कार्य आर0 आर0 मैश्नरी इत्यादि से सम्बन्धित कार्य में 100 एम एम डाया पाईप के वीप होलस का प्रयोग किया जाना था। परन्तु इस कार्य मद की गणना करते समय 100 एम एम पाईप हेतु आर–आर मैश्नरी के कार्य से कोई भी कटौती नहीं की गई थी जिसके फलस्वरुप आर–आर मैश्नरी के कार्य का आंकलन अधिक किया गया था। आर0 आर मैश्नरी के कार्य का भुगतान मद संख्या 21/23 के अन्तर्गत 1993–85 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹2100 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 58 पर किया गया था। आर0 आर मैश्नरी की देय मात्रा में से 100 एम एम पी वी सी पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा 6.25 घन मी0 (22/7x0.05x0.05x796.04 मी0) की कटौती न करके संविदाकार को ₹2100 प्रति घ मी0 की दर से ₹13125.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(5) ₹8528/–संविदाकार से सीमेंट बैग की कम वसूलीः–

सीमेंट उपयोग की सूची के अनुसार उपरोक्त बिल तक 24405 सीमेंट बैग उपयोग किये गये थे। जिनकी ₹184 प्रति सीमेंट बैग+3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज की दर से वसूली की जानी थी जबकि 24360 सीमेंट बैग की ही वसूली की गई थी 45 सीमेंट बैग की ₹184 प्रति सीमेंट बैग +3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज सहित ₹8528.00 की कम वसूली की गई थी। वास्तविक सीमेंट बैग खपत से कम सीमेंट बैग की वसूली करके संविदाकार को अस्थाई लाभ दिया गया प्रतीत होता है जिसके बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(6) ₹9505.00 का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के 14वें चलित बिल की उपरोक्त मद, मद संख्या 1/1 परिशिष्ट बी द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग माईलड़ स्टील टयूब 15 एम एम नौमीलन वोर इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्म की कुल मात्रा 3415.09 मीटर का भुगतान एम बी 2188 पृष्ठ 31 पर ₹109 प्रति मीटर की दर से किया गया था। इस कार्य मात्र में शामिल 914.81 मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2183 पृष्ठ 11 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लॉक न0 4 के 16 फलैट से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना की गई थी। टॉप लैंटर से फलैटों तक आऊट लैट पाईप की गणना करते समय 16 फलैट के स्थान पर 24 फलैट की गणना की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

टॉप लैंटर से टॉप फलोर	4X2.60	10.40 मी0
टॉप से दूसरी मंजिल	4X5.60	22.40 मी0
टॉप से प्रथम मंजिल	8X 8.60	68.80 मी0
टॉप से धरातल मंजिल	8X12.40	99.20 मी0
	कुल मात्रा	**200.80 मी0**

जबकि 16 फलैट में कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

टॉप लैंटर से टॉप फलोर	4X2.60	10.40 मी0
टॉप से दूसरी मंजिल	4X5.60	22.40 मी0

टॉप से प्रथम मंजिल	4X 8.60	34.40 मी0
टॉप से धरातल मंजिल	4X11.60	46.40 मी0
	कुल मात्रा	113.60 मी0

उपरोक्त विवरणानुसार 87.20 मीटर (200.80 मी0 –113.60 मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹109 प्रति मी0 की दर से ₹9505.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

(7) **<u>₹1743.00 का अधिक भुगतानः–</u>**

चलत बिल की मद संख्या 50/58 द्वारा वर्णित कार्य 15 एम एम सीमेंट पलास्टर इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 8305.26 वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2188 पृष्ठ 70 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 1074.59 वर्ग मी0 कार्य मात्रा की रिर्काड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2169 पृष्ठ 21 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य मात्रा में गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 1055.01 वर्ग मी0 के स्थान पर 1074.59 वर्ग मी0 दर्शाई गई थी। जिसके फलस्वरुप संविदाकार को 19.58 वर्ग मी0 (1074.59वर्ग मी0 –1055.01 वर्ग मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹89 प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹1743.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(8) **<u>₹1000 की कम वसूली :–</u>**

उपरोक्त बिल में संविदाकार से ₹23146.00 की लेवर सैस की वसूली की जानी थी जबकि लेवर सैस की वसूली ₹22146.00 की गई थी अतः कम वसूल की गई राशि ₹1000/–की उचित माध्यम से वसूली करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(9) **<u>अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के रुप में संविदाकार को ₹864808.96 का अनियमित भुगतान :–</u>**

कार्य के 15वें चलत बिल तक संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹864808.96 का भुगतान अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों के रुप में किया गया था। इन मदों को करवाने

के लिए सम्बन्धित विभाग जिसके डिपॉजिट वर्क के रुप में कार्य किया जा रहा था की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। हिमुड़ा अधिकारियों द्वारा यह कार्य सम्बन्धित विभाग बिना स्वीकृति के ही करवाया गया था।

क0 सं0	**बिल की मद सं0**	**कार्य का विवरण**	**मात्रा**	**यूनिट**	**दर (₹)**	**राशि (₹)**
1	58/ई आई	पी0वी0सी0 पाईप फार वीप होल	796.00	मीटर	109.87	87460.91
2	59/ई आई	होलड फस्ट फार डोर एण्ड विन्डो	3810	प्रति	48.75	185737.50
3	60/एस आई	प्रोवाईगि/फिकसिंग टावर वोलट				
		100X10एमएम	1536	प्रति	20.21	31042.56
		150X10एमएम	1536	प्रति	27.86	42792.96
4	61/ई आई	प्रोवाईग ग्रोवज इन पलास्टर ब्रेक	3792.96	मीटर	6.00	22754.76
5	62/ई आई	पी/एफ पी एन0एस0 पाईप 40 एम0एम0 डाया	32.00	मीटर	298.85	9547.20
6	63/ई आई	पी/एफ फोस्ट्रड गलास इत्यादि	73.92	वर्ग मी0	35.19	2601.24
7	64/ई आई	पी/एफ ओन वुड डोरू शटर	1128.43	वर्ग मी0	24.90	28097.90
8	64/ई आई	एकजकावेसन इन अर्थ वर्क एण्ड पीलिंग पलिंथ 15 सै0मी0 लेययर	205.74	धन मी0	141.80	29173.93

<u>परिशिष्ठ बी</u>

9	32/एस आई	पी/एफ किचन सिंक 21"x16"x8"	96	प्रति	2900	278400.00
10	33/ई आई	पी0वी0सी0 कौलर 75 एम एम	272	प्रति	80	21760.00
		100 एम एम	128	प्रति	80	10240.00

11	34/एस आई	प्रोवाईडिग वाटर मीटर चैम्बर	64	प्रति	1800	115200.00
					कुल राशि	**864808.96**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा के पत्र संख्याः Himuda-Secy/MIDE/2004 दिनाँक 27.12.2004 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमोदन व सम्बन्धित विभाग जिसका डिपॉजिट वर्क किया जा रहा है के अनुमोदन के बिना कोई भी अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य न करवाया जाए। लेकिन उपरोक्त दिशा निर्देशों को नजर अन्दाज करते हुऐ उपरोक्त कार्य में ₹864808.96 का कार्य अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदो के रूप में किया जिनकी दरें आज तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

11 संविदाकारो से सर्विस टैक्स की राशि ₹1044639.00 की वसूली न करनाः—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0प्र0 आवास बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन सं0 Himuda/Acctts-BSS/-Service Tax/2006 दिनाँक 18.06.2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिनाँक 01.07.2012 से संविदाकारो द्वारा किए गए कार्य के 40% भाग की राशि पर 6.16% की दर से सर्विस टैक्स की वसूली की जानी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनाँक 01.07.2012 से देय सर्विस टैक्स की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से न करने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ ही नहीं पहुचाया गया बल्कि अपरोक्ष रूप से सरकारी आय की हानि हुई है, जो कि एक गम्भीर अनियमिता है। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 135 दिनाँक 31.1.2015 द्वारा मामला अधिशासी अभियन्ता के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस सन्दर्भ में कोई संतोषजनक उतर नहीं दिया गया। निम्न विवरणानुसार ₹1044639.00 सर्विस टैक्स की वसूली न करने बारे नियमों के अधीन औचित्य स्पष्ट किया जाये। अन्यथा सर्विस टैक्स की वसूली करके राशि सर्विस टैक्स विभाग में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कार्य का नाम/अनुबन्ध संख्या	जिस बिल से वसूली की जानी थी	किये गये कार्य की राशि ₹	किये गये कार्य की 40 प्रतिशत राशि ₹ में	6.18 प्रतिशत की दर सं सर्विस टैक्स की राशि ₹ में
1	96 न0 ई डब्लयू एस फ्लैट का मन्धाला में निर्माण कार्य करना। अनुबन्ध संख्या 9 वर्ष 2012.13	प्रथम चलत बिल से पॉचवे चलत बिल तक	30013784	1,20,05,513	741940
2	8 न0 कैटागिरी 1 फ्लैट का परमाणू में निर्माण कार्य करना अनुबन्ध संख्या 11 वर्ष 2010. 11	दसवां चलत बिल	703041	281216	17379
3	–यथोपरि– अनुन्ध संख्या 12 वर्ष 2010.11	नौवाँ चलत बिल	9,94,939	397976	24594
4	–यथोपरि– अनुबन्ध संख्या 15 वर्ष 2010. 11	दसवां चलत बिल	5,49,700	219880	13588
5	आवास बस्ती जरजा में पी0 एस0एफ0एस0 का निर्माण कार्य (स्थल विकास) करना। अनुबन्ध संख्या 47 वर्ष 2011–12	दसवें चलत बिल से 15वें चलत बिल तक	99,97,509	39,99,003	247138
				कुल राशि	**10,44,639**

12 ₹269235.00 का संविदाकर को अनुचित/अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः–शहरी गरीबों को मकान बनाने के लिए इन्टैग्रेटिड सलम डिवैल्पमैन्ट योजना के अन्तर्गत नालागढ़ में 128 न0 फलैट व एक सामुदाईक भवन का निर्माण कार्य :–

संविदाकार का नाम :	**श्री नरेश कुमार तुली**
अनुवन्ध संख्या :	2 वर्ष 2011–12
अनुवन्ध राशि :	₹4,58,38,038.00

उपरोक्त कार्य के सातवें चलत बिल का भुगतान वाऊचर संख्या 180 माह 10/2013 द्वारा संविदाकार को ₹69,07,435.00 के लिए किया गया था भुगतान की जाँच करने पर ₹269235.00 के अनुचित/अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

(₹) **₹30256.00 का अधिक भुगतानः–**

सातवें चलत बिल की मद संख्या 1/1 परिशिष्ट बी द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेंईग गवैनलाइजड माईलड स्टील टयूव 15 एम एन नौमिनल वोर इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 7046.23 मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2172 पृष्ठ 67 पर ₹155 प्रति मीटर पार्ट दर (पूर्ण दर ₹160) से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 1140.48 मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2140 पृष्ठ 85 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लॉक न0 एक में किये कार्य मात्रा की गणना करते समय धरातल से टॉप छत तक वर्टीकल स्टैग इनलैट पाईप की 32 फलैट के लिए गणना निम्न प्रकार से की गई थी।

वर्टीकल स्टैग इनलैट पाईप धरातल से टॉप छत तक 32x1x12-20=390-40 मीटर

ब्लाक संख्या एक के लिए मापन पुस्तिका संख्या 2136 पृष्ठ 22 पर गणना करते समय धरातल से टॉप छत तक वर्टीकल स्टैग इनलैट पाईप की गणना 16 फलैट के लिए निम्न प्रकार से की गई थी।

वर्टीकल स्टैग इनलैट पाईप धरातल से टॉप छत तक 16x1x12-20=195-20 मीटर

ब्लाक संख्या एक में कुल 32 फलैट ही थे। तथा प्रत्येक फलैट में एक ही इनलैट पाईप वर्टीकल स्टैग का भुगतान किया जाना था। जबकि उपरोक्त विवरणानुसार ब्लाक संख्या एक के 48 फलैट के लिए इनलैट पाईप का भुगतान किया गया दर्शाया गया था। अतः 16 न0 फलैट की 195.20 मी0 कार्य मात्रा की अधिक गणना करके ₹155 प्रति मीटर की दर से ₹302,56.00 का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) ₹2,29,238.00 का अधिक भुगतानः–

सातवें चलत बिल की मद संख्या 17(वी)/एस आई द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिग एण्ड लेईग सीसी 1:5:10 (15 प्रतिशत पलम) इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 445.07 घन मी0 का भुगतान ₹2300 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2172 पृष्ठ 48 पर किया गया। सातवे चलत बिल तक उपरोक्त मद की दर का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से नही करवाया गया था। प्रतिस्थापित मद की दर का सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पहले मद की प्रोविजनल दर के 75 प्रतिशत के बरावर की दर से भुगतान किया जाना था। किये गये कार्य की दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना था।

हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 2009 के खण्ड II पृष्ट 32 के अनुसार **₹2087.10%** पी/एल सी0:सी0 1:5:10 (15% पलम) की दर

सविदाकार द्वारा समान मदों हेतु दी गई दरों की प्रतिशतता

अनुवन्ध के अनुसार दरें — **कार्य के अनुमान के अनुसार दरें**

क्र0 सं0	मद का विवरण	मात्रा	यूनिट	दर (₹)	राशि	दर	राशि
1	पी/एल सी0सी0 1:4:8 इन फाऊडेशन	358.19	घन मी0	2700	9,67,113.00	2293.10	821365
2	पी/एल सी0सी0 1:4:8 इन रिटेनिग वाल	62.51	घन मी0	2750	1,71,902.50	2300.65	143814
3	पी/एल सी0सी0 1:6:12 इन फाऊडेशन	446.32	घन मी0	2330	10,40,414.90	1942.50	867385
4	पी/एल सी0सी0 1:8:16	343.87	घन मी0	2230	766830.10	1812.75	623350
					2946260.50		2455914.00
				रिवेट 4.95%(-)	145839.89		
					2800420.61		

प्रतिशतता $\frac{2800420.61-2455914.00}{2455914} \times 100 = 14.03\%$

दर का निर्धारण 2087.10+292.82 समान मदों की प्रतिशतता = 2379.92

सविदाकार को 445.07 धन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹1784.94 (₹2379–92X75%) प्रति घन मी0 की दर से ₹794423.00 का भुगतान किया जाना था। जबकि संविदाकार को 445.07 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹2300 प्रति घन मी की से ₹1023661.00 का भुगतान किया गया था। जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹229238.00 (₹1023661–₹794423) का अधिक भुगतान किया गया था जिसके वारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों की दरों को सक्षम अधिकारी से अनुमोदन से पहले गणना की गइ दर के 75 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) <u>₹8761.00 का अधिक भुगतानः–</u>

सातवें चलत की मद संख्या 10/10 द्वारा वर्णित कार्य सी सी 1:6:12 इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 182.32 घन मी का भुगतान संविदाकार को ₹2330 प्रति घन मी की दर से किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 20.76 घन मी कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2176 पृष्ठ 10 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि 17 घन मी के स्थान पर 20.76 घन मी कार्य मात्रा दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप सविदाकार को 3.76 घन मी (20.76 घन मी –17.00 घन मी) कार्य मात्रा के लिए ₹2330 प्रति घन मी की दर से ₹8761.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की गई राशि ₹8761.00 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(4) <u>₹980.00 का अधिक भुगतानः–</u>

उपरोक्त चलत बिल की मद संख्या 13/14 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिग टौर स्टील/टी एम टी स्टील इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा <u>219289.36</u> कि0ग्रा0 का भुगतान संविदाकार को ₹49 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 3880.21 कि0ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 2173 पृष्ठ 6 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना के अनुसार कार्य मात्रा 3860.21 कि0ग्राम थी जिसे भुगतान करते समय 3880.21 कि0ग्राम दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 20 कि0ग्राम कार्य मात्रा के लिए ₹49

प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹980 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

13 **₹79865.00 का सम्भावित अधिक भुगतानः–**

कार्य का नामः– आई0आर टी0 मन्धाला में 96.00 न0 ई डब्लयू एस फलैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सैनेटरी इन्सटालेशन व स्थल विकास सहित करने (शेष कार्य)

संविदाकार का नामः– मै0 आल ग्रेस डिवैलपमैन्ट प्रा0 लि0

अनुबन्ध संख्या : 9 वर्ष 2012–13

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वित्तीय चलत विल से पांचवें चलत विल तक किये गये भुगतान की विस्तृत जाँच पड़ताल की गई। जाँच करने पर ₹79865.00 के अधिक भुगतान व कम वसूलियों के मामले एवं अन्य अनियमिताये पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) **₹52327.00 का अधिक भुगतानः–**

ब्रिक वर्क के कार्य से डोर व विन्डो फ्रेम फिक्स करने के लिए सी0सी0 1:3:6 में किये गये होल्ड फस्ट के कार्य की मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतानः–

पाचवें चलत बिल की दर संख्या 17/20 द्वारा वर्णित कार्य ब्रिक वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 645.28 घन मी का भुगतान ₹3685.00 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2200 पृष्ठ 21 पर किया गया था। पाचवें चलत विल की मद संख्या 28/33 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिग एण्ड फिकसिंग होल्ड फस्ट इन सीमेन्ट ब्लाक 30x10x15 सैं0मी0 इन सी0 सी0 1:3:6 इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 3156 न0 का भुगतान ₹75 प्रति की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2200 पृष्ठ 27 पर किया था। होलड़ फस्ट लगाने के कार्य में किये गये सी0सी0 1:3:6 से सम्बन्धित कार्य मात्रा को ब्रिक वर्क के कार्य से कम नहीं किया गया था। ब्रिक वर्क के कार्य से होलड़ फस्ट लगाने के लिए किये गये सी0सी0 1:3:6 से सम्बन्धित कार्य मात्रा को कम न करने के कारण सविदाकार को ब्रिक वर्क के कार्य में 14.20 घन मी0

(0.30x0.10x0.15x3156 न0) कार्य मात्रा के लिए ₹3685.00 प्रति घन मी की दर से ₹52327.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) वीप होल के कार्य की मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ₹1293.00 का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्य के पांचवें चलत विल की जाँच करने पर पाया गया कि प्रोवाईडिग वीप होल इन व्रिक/स्टोर मैश्नरी इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 57 न0 का भुगतान ₹200 प्रति की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2200 पृष्ठ 23 पर किया गया था। प्रोवाईडिग वीप होल से सम्बन्धित कार्य सक्वेयर रबल मैश्नरी से सम्बन्धित कार्य में किया गया था। परन्तु सक्वेयर रबल मैशनरी कार्य की गणना करते समय 100 एम एम डाया पाईप जिसका उपयोग वीप होल के कार्य में किया गया था के लिए कटौती नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप सक्वेयर रबल मैश्नरी के कार्य का आकलन अधिक किया गया था। सक्वेयर रबल मैश्नरी से सम्बन्धित कार्य का भुगतान पाँचवें चलत विल की मद संख्या 19/24 द्वारा 165–06 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹2750 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। ऐनालाईसिज आफ रेट के अनुसार एक न0 वीप होल में 1.05 मी 100 एम एम डाया पाईप का उपयोग किया गया था। जिसके अनुसार सक्वेयर रबल मैश्नरी के कार्य से 57.00 न0 वीप होल की कार्य मात्रा में उपयोग पाईप के डाये के वरावर 0.47 घन मी0 (II/4(10)2X57X1.05) कार्य मात्रा कम करके भुगतान किया जाना था। उपरोक्त विवरणानुसार सकवेयर रबल मैश्नरी के कार्य से वीप होल के कार्य में उपयोग पाईप के बराबर कार्य मात्रा कम न करने के कारण सविदाकार को 0.47 घन मी कार्य मात्रा के लिए ₹2750 प्रति धन मी की दर से ₹1293.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसको न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुबन्ध संख्या 47 वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत हाऊसिग कलौनी जरजा जिला सिरमौर के निर्माण कार्य में मापन पुस्तिका संख्या 466 पृष्ठ 77 पर पी वीसी पाईप इन वीप होल में किये गये कार्य की मात्रा के लिए आर0आर0 मैश्नरी के कार्य में मात्रा कम की गई थी। लेकिन उपमण्डल वद्धी द्वारा यह प्रक्रिया नही अपनाई जा रही है।

(3) ₹1140.00 का अधिक भुगतानः–

तीसरे चलत विल की मद संख्या 8/16 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईग टौर स्टील/टी एम टी इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की मात्रा 39311.46 कि0ग्रा0 का भुगतान ₹66.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2156 पृष्ठ 38 पर किया गया था इस कार्य मात्रा में शामिल 1912.67 क्रि0ग्रा0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2117 पृष्ठ 13 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 1895.36 कि0ग्राम के स्थान पर 1912.63 किलो ग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 17.27 कि0ग्रा0 (1912.63–1895.36) कार्य मात्रा के लिए ₹66 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹1140.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(4) रायल्टी राशि ₹25105.00 की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006 दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, वजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रॉयलटी देय है। पांचवे चलत विल में मापन पुस्तिका संख्या 2200 पृष्ठ 22 पर मद संख्या 19/24 व 20/25 के निष्पादन हेतु क्रमशः 165.06 धन मीटर व 40.38 घन मी स्टोन वर्क की कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया है। जिसके किए संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 270.54 घन मी पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई पत्थरों की प्रमात्रा के लिए उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलटी की कटोती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूव ₹25105.00 की रॉयलटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप में हानी पहुँचाई गई प्रतीत होती है।

क0 सं0	विल की मद संख्या	मद का विवरण	कार्य मात्रा	उपयोग की गई पत्थर की मात्रा	टनों में मात्रा	रॉयलटी प्रति टन ₹	राशि
1	19/24	एस आर मैश्नरी इन सी0एम 1:6	165.06 घन मी	226.13 घन मी0 (165.	524.62 (226.13X232)	40.00	20985.00

				06X10.37)			
2	20/25	स्टोर फीलिग विहाईड रिटेनिग वाल	40.38	44.41 घन मी0 (40.38X1.10)	103 (44.41X2.32)	40.00	4120.00
		जोड़	**205.44**	**270.54**	**627.62**		**25105.00**

14 वेतन भत्तो की राशि ₹143468.00 का अनियमित भुगतानः—

निर्माण मण्डल में कार्यरत श्री सुन्दर सिंह, श्री जोगिन्द्र सिंह व श्री राजेश ठाकुर कनिष्ट अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन कनिष्ठ अभिमन्ताओं को कार्यालय आदेश संख्याः हिमुडा 5—23—एडमन खण्ड xi दिनाँक 30.04. 2010 द्वारा Purely on stop gap arrangement सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु officiate करने के ओदश दिये गये थे तत्पश्चात सम संख्या कार्यालय आदेश दिनाँक 25. 08.2010 द्वारा उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को तीन माह व इससे सम्बन्धित आगामी आदेश जो भी पहले हो के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर officiate करने हेतु कहा गया था। परन्तु अवधि 24.11.2010 के पश्चात इन पदो पर officiate करने हेतु कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाँक 19.09. 2012 द्वारा श्री सुन्दर सिंह एव श्री जोगिन्द्र सिंह को Adhoc आधार तथा श्री राजेश ठाकुर को विभाग के समसंख्यक पत्र संख्या दिनाँक 28.09.2012 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती आदेश जारी किये गये। अतः दिनाँक 24.11.10 से 18.9.12 तक सहायक अभियन्ता के पद के वेतन व भत्तो का अहरण व भुगतान नियमानुसार नही था, दिनाँक 24. 11.10 से 18.9.12 तक इन कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर स्टाप गैप अरेन्जमैन्ट के आधार पर कार्य करने के आदेशो को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें अन्यथा अनियमित भुगतान कीए गए वेतन व भतो की राशि ₹143468 जिसका विवरण परिशिष्ट ग (i से iii) पर दिया गया है, की वसूली सुनिश्चित की जाए।

15 अशंदायी भविष्य निधि में न्योक्ता अंशदान की राशि ₹106002.00 का अनियमित भुगतानः—

वेतन बिलों/वेतन रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि श्री भगवान चन्द तथा श्री विनोद ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर की गई थी अनुबन्ध की शर्त संख्या 9 के अनुसार उक्त कर्मचारियों की निर्धारित मासिक अनुबन्ध राशि से कोई

भी सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई भविष्य निधि की कटौती नहीं की जानी थी। परन्तु उक्त शर्त की अनदेखी करते हुये कर्मचारियों की मासिक अनुवन्ध राशि से 10% की दर से अंशदायी भविष्य निधि की कटौती की गई तथा इस राशि के समतुल्य नियोक्ता अंशदान का भुगतान मण्डल द्वारा किया गया जिससे मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹106002.00 का नुकसान उठाना पड़ा। अंशदायी भविष्य निधि की कटौती व नियोक्ता अंशदान का भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी आपति उठाये जाने के वावजूद निर्माण मण्डल द्वारा अनियमित भुगतान पर रोक नहीं लगााई गई और न ही भुगतान की गई राशि की वसूली की गई बल्कि आगे और अनियमित रूप से भुगतान किया गया। जो कि चिन्ता का विषय है अतः किये गये भुगतान को नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अवधि	वेतन रजिस्टर के अनुसार वेतन भुगतान की राशि	10% की दर से किया गया नियोक्ता अंशदान
1	श्री भगवान चन्द क0अ0	25.5.11 से 7.11.13	4,53,330.00	45333.00
2	श्री विनोद कुमार क0अ0	1.7.10 से 5.11.13	60668500	60669.00
			कुल योग	**106002**

16 <u>एच0आर0टी0सी0 को किराये पर दिए गये फलैटो के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रखरखाव न करने बारे :–</u>

वाउचर संख्या 149 माह 10/2013 ₹1,36,400.00 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर एच0आर0टी0सी0 परवाणू से ₹1,36,400 की प्राप्ति दर्शाई गई थी। इस राशि को रसीद संख्या 0118273 दिनाँक 24.10.2013 द्वारा प्राप्त किया गया यह राशि एच0आर0टी0सी0 परवाणू से निम्न फ्लैटों के किराये के रूप में प्राप्त की गई दशाई गई थी।

ब्लाक का विवरण	फलैट न0
ब्लाक संख्या 45	फ्लैट न0 47,54
ब्लाक संख्या 29,30	फ्लैट न0 349,364,365,366,372,373,379,382
ब्लाक संख्या 20	फ्लैट न0 230,237

उपरोक्त फ्लैट एच0आर0टी0सी0 परवाणू को किराये पर दिये गये थे। किराया प्राप्ति रजिस्टर का रखरखाव उचित प्रकार से नही किया गया था। जिससे यह पता नहीं चल सका कि कितना किराया प्राप्त किया गया था व कितना प्राप्त करने को शेष था। इसके अतिरिक्त किराये से सम्बन्धित एच0आ0टी0सी0 के साथ किया गया इकरार नामा/अनुबन्ध इत्यादि भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह पुष्टि नही हो सकी, कि किराया, अनबन्ध के अनुसार प्राप्त किया जा रहा है या नही। अतः किराया प्राप्ति रजिस्टर का रखरखाव उचित प्रकार से किया जाए तथा एच0आर0टी0सी0 परवाणू से किराये की प्राप्ति से सम्बन्धित किये गये अनुबन्ध को आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाए ताकी प्राप्त की गई राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

17 <u>विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन के रूप में ₹9986.00 का अधिक भुगतानः–</u>

(1) <u>₹2651.00 का अधिक भुगतानः–</u> वाउचर संख्या 129 दिनाँक 19.10.2013 द्वारा कर्मचारियों के अवधि 01.01.2013 से 31.07.2013 तक के मंहगाई भत्ते की बकाया राशि के रुप में ₹420022.00 का भुगतान किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि श्री एन के शर्मा अतिरिक्त सहायक अभियन्ता को गणना में गलती के कारण ₹7137.00 के स्थान पर ₹9504.00 का भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरुप ₹2367.00 (₹9504–₹7137.00) का अधिक भुगतान किया गया था उपरोक्त राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ₹284.00 बोर्ड शेयर का भी भुगतान किया गया था। उपरोक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई कुल राशि ₹2651.00 (2367.00+₹284.00) की माह 12/2014 के वेतन से वसूली कर दी गई जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई। अतः भविष्य में आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किया जाए ताकि इस तरह की पुनरावृति न हो।

(2) <u>₹4500 का अधिक भुगतान :–</u>

श्री करनैल सिंह सेवादार को माह 9/2013 में फ्लैट न0 4 ब्लॉक न0 जी फेस–3 बददी में रिहायश के लिए आबंटित किया गया था। श्री करनैल सिंह के वेतन से ₹106 प्रति माह लाईसैंस फीस/पूल्ड़ रैन्ट की वसूली की जा रही थी, लेकिन श्री करनैल सिंह

को मकान किराये भत्ते का भुगतान ₹300 प्रति माह भी किया जा रहा था जबकि रिहायशी मकान आबंटित किये जाने पर मकान किराये भत्ते का भुगतान देय नहीं था। माह 9/2013 से माह 11/2014 तक श्री करनैल सिंह के ₹300 प्रतिमाह की दर से 15 माह के लिए ₹4500 का अधिक भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर उपरोक्त राशि ₹4500 की माह 12/2014 के वेतन से वसूली कर दी गई जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई। अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) ₹1041.00 का अधिक भुगतान :–

वेतन रजिस्टर के पृष्ठ 56 पर श्री लायक राम, मैशन के वेतन व भत्तो की जाँच करने पर पाया गया कि श्री लायक राम को वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.02.2013 से स्वीकृत की गई थी परन्तु बकाया राशि का भुगतान करते समय दिनांक 1.1.2013 से 30.4. 2013 तक ₹ 3716.00 का भुगतान किया गया था जबकि बकाया राशि का भुगतान दिनाँक 1.2.2013 से 30.4.2013 तक ₹2787.00 के लिये किया जाना था उपरोक्त विवरणानुसार श्री लायक राम को ₹929.00 का अधिक भुगतान किया गया था बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से वोर्ड शेयर का भुगतान भी किया गया था। श्री लायक राम को कुल ₹ 1041.00 (₹929.00+12% बोर्ड शेयर ₹112.00) का अधिक भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ती उठाये जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रसीद संख्या 119518 दिनांक 31. 12.2014 द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि ₹1041.00 की वसूली कर दी गई जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई। अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4) ₹1794.00 का अधिक भुगतान :–

वाऊचर संख्या 98 दिनाँक 17.10.13 द्वारा श्री गीतू सिंह चौकिदार को 4/9/14 वर्ष के सेवाकाल के अन्तराल पर उच्च वेतनमान की वकाया राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण ₹6408.00 बकाया राशि के स्थान पर ₹8010.00 का भुगतान किया गया था। जिसके फलस्वरूप ₹1602.00 (₹8010–₹6408) बकाया राशि व ₹192 बोर्ड शेयर, कुल राशि ₹1794.00 का

अधिक भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर अधिक भुगतान की गई राशि ₹1794.00 की माह दिसम्बर 2013 के वेतन से वसूली कर दी गई जिसकी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि कर ली गई। फिर भी भविष्य में बकाया राशि एवं वेतन से सम्बन्धित भुगतान से पूर्व आन्तरिक जाँच की व्यवस्था की जाये ताकि इस तरह के अधिक भुगतानों पर रोक लगाई जा सके।

18 (क) टी0ए0/टी0 टीए0 अग्रिम राशियों का समायोजन न करनाः—

निर्माण मण्डल परवाणू में कर्मचारियों को दिये गये टी0ए0/टी0टीए0 अग्रिमों की वसूली योग्य राशि 31.3.2014 को (—) ₹9645.35 दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	31.3.14 को वसूली योग्य शेष राशि
1	श्री ए0पी0 डवराल सहायक अभियन्ता	(—) 1315.00
2	श्री बी एस आजाद अधिशासी अभियन्ता	(—) 889.00
3	श्री बलवीर सिंह चौकीदार	(—) 235.00
4	श्री डी0एन0 शर्मा ए0डी0एम0	(—) 450.00
5	श्री डी आर शॉडिल एच0सी0	(—) 300.00
6	श्री जीत सिंह सेवादार	(—) 435.00
7	श्री आर एस रामवत सहायक अभियन्ता	(—) 800.00
8	श्री ओ पी शर्मा अधिशासी अभियन्ता	(—) 1610.00
9	श्री एस सी सचान्वी	(—) 976.00
10	श्री विजय सिंह नेगी कनिष्ठ अभियन्ता	(—) 1635.00
11	श्री आर एस चौधरी स0 अभियन्ता	(—) 1000.00
	कुल राशि	**₹9645.35**

उपरोक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त कर्मचारियों को अन्य मण्डल अन्यथा अन्य विभाग द्वारा अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी। जिनकी वसूली निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा की गई थी। यह राशियां सम्बन्धित निर्माण मण्डल अथवा सम्बन्धित विभाग जिनके द्वारा अग्रिम राशियां सम्बन्धित कर्मचारियों को दी गई थी को भेजी जानी वांछित थी। लेकिन इन राशियों को वसूली के उपरान्त सम्बन्धित विभाग/निर्माण मण्डल को वापिस न भेजने के कारण इस निर्माण मण्डल में क्रेडिट शेष दर्शाये जा रहे है। अतः उपरोक्त राशियों के जमा की विस्तृत जाँच करके इन राशियों को सम्बन्धित विभागों/निर्माण मण्डलों को भेजा जाये जिनसे सम्बन्धित यह राशियाँ वसूल की गई है तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ख) <u>मोटर साईकल/स्कूटर/कार अग्रिम खाते में ₹11516.00 क्रेडिट शेष दर्शाया जानाः–</u>

हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा कर्मचारियों के मोटर साईकिल/स्कूटर/कार अग्रिम खाते में 31.3.2014 को ₹11516.00 के क्रेडिट शेष दर्शाये गए थे। अग्रिम खाते में क्रेडिट शेष दर्शाया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अग्रिम खाते में जमा राशियों का अन्य निर्माण मण्डलों एवं हिमुडा मुख्यालय के साथ मिलान किया जाए तथा अन्य मण्डलों में अग्रिम दी गई राशियों के विरूद्ध इस मण्डल मे की गई वसूली सम्बन्धित मण्डलों को क्रेडिट (जमा) करके लेखों में उचित सुधार किया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

19 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88–खण्ड–16–3563–64,दिनांक–20.06.15 शिमला–09.

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कायवाही हेतु प्रेंषित हैः–

(1) प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(2) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला–171002.

पंजीकृत :– (3) अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू जिला सोलन को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

(4) श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................................

हस्ता/–

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012 तक के पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित।

(1) अंकेक्षण मण्डल से स्थानीन्तरित पैरें

1	अवधि –1984–85	पैरा 19 एफ	अनिर्णीत
2	अवधि –1985–86	पैरा 6	अनिर्णीत
3	अवधि – 1987–88	पैरा 8 (सी)	अनिर्णीत
4	अवधि – 1987–88	पैरा 10 (ई)	अनिर्णीत

(2) शिमला मण्डल–2 से स्थानान्तरित पैरे

(i) अंकेक्षण अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा– 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा– 5 (त)	अनिर्णीत
3	पैरा– 9 (क)	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–19	अनिर्णीत

(iii) अंकेक्षण अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा–17	अनिर्णीत

निर्माण मण्डल परवाणू

(3) अंकेक्षण अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा– 9	अनिर्णीत
2	पैरा– 12	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा– 23	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा– 20	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा– 17	आंशिक निर्णीत	

(7) अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा– 5 (1)	निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013 में पुनः प्रारूपित होने के कारण।)
2	पैरा– 8 (2)	निर्णीत	(अति0 निदेशक, संस्थान निधि लेखा के निरीक्षण उपरान्त)
3	पैरा– 8 (3)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा– 7 (3)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित होने के कारण)
2	पैरा– 8 (1)	निर्णीत	(₹1558.00 की वसूली, समायोजन वाउचर संख्या 11 माह 1/2015 द्वारा करने पर)
3	पैरा– 8 (2)	निर्णीत	(₹3914 की वसूली मापन पुस्तिका संख्या 2147 पृष्ठ 62 पर करने के पश्चात)
4	पैरा– 9 (1)	निर्णीत	(₹1926.00 की वसूली समायोजन संख्या 10 माह 1/2015 द्वारा करने के पश्चात)
5	पैरा– 9 (2)	निर्णीत	(₹53426 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 10 माह 1/2015 द्वारा करने पर)

6	पैरा– 10 (1)	निर्णीत	(₹5769.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 4 माह 12/2014 के पश्चात)
7	पैरा– 12	निर्णीत	(₹948.00 की वसूली समायोजन वाउचर संख्या 3 माह 12/2014 द्वारा करने पर)
8	पैरा– 16	निर्णीत	(₹2822.00 श्री भगवान चन्द व ₹3480.00 श्री बिनोद कुमार से माह 1/2014 के वेतन से वसूली करने के पश्चात)

(9) अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा– 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क मामला हिमुडा मुख्यालय से सम्बन्धित होने के कारण)
2	पैरा– 4 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा– 4 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा– 4 (ग)	निर्णीत	(अति निदेशक के निरीक्षण के उपरान्त)
5	पैरा– 5 (क)	निर्णीत	–यथोपरि–
6	पैरा– 5 (ख)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
7	पैरा– 5 (ग)	निर्णीत	(सम्बन्धित खातों में पृष्ठ 29 व पृष्ठ 197 पर वसूली के पश्चात)
8	पैरा– 5 (घ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा– 6 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा– 6 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11	पैरा– 7 (क)	आंशिक निर्णीत	(₹2179144.00 में से ₹258469.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 5 माह 1212014 द्वारा की गई। ₹1920675.00 (₹2179144–₹258469.00) की वसूली शेष है)
12	पैरा– 7 (ख)	निर्णीत	(₹151842.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 4 माह 12/2013 द्वारा प्रतिभूति की राशि से करने के पश्चात)

13	पैरा– 7 (ग)	निर्णीत	(₹7086 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 4 माह 12/2013 द्वारा करने के पश्चात)
14	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(₹2,12,701.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 11 माह 12/2013 द्वारा करने के पश्चात)
15	पैरा–8	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही पश्चात)
16	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
17		पैरा–9 (ख)	(₹362693 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 5 माह 12/2013 द्वारा करने के पश्चात)
18	पैरा–9 (ग)	निर्णीत	(₹1949.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 5 माह 12/2013 द्वारा करने के पश्चात)
19	पैरा–9 (घ)	निर्णीत	(₹147365.00 की वसूली समायोजन वाऊचर संख्या 10 माह 12/2013 द्वारा करने के पश्चात)
20	पैरा–10 (1)से (14)	निर्णीत	(अति0 निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)
21	पैरा–10 (15)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11	निर्णीत	(₹1201580.00 का भुगतान वाऊचर संख्या 108 दिनाँक 22.4.14 द्वारा करने के पश्चात)
23	पैरा–12 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा–13 (1)	निर्णीत	(₹97425.00 की वसूली मापन पुस्तिका संख्या 2200 पृष्ठ 18 पर पांचवें चलत विल से करने के पश्चात)
25	पैरा–13 12(2)(3)(4)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)
26	पैरा–14	निर्णीत	(₹2355.00 की वसूली के पश्चात)
27	पैरा–15	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
28	पैरा–16	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
29	पैरा–17	निर्णीत	(₹7044 की वसूली माह 12/2014 के वेतन से करने पर)
30	पैरा–18	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण उपरान्त)